



कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं मा० कार्य परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 24.08.2018 के कार्यवृत्त पत्रांक: 864 / फा०सं०-36(पंचम) / कार्य परिषद / 2018-19 दिनांक: 31.08.2018 के बिन्दु संख्या 4 / 20 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकवृन्द में से विश्वविद्यालय के कार्यालय-आदेश संख्या-826 / फा०सं०-499 / एच०ओ०डी० / 2018-19, दिनांक 24 अगस्त, 2018 द्वारा डॉ० पांचाली सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र को प्रबन्धशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष परिनियमावली में विहित व्यवस्थानुसार नियुक्ति किया गया था।

प्रबन्धशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यकाल के सम्बन्ध में मा० कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक: 17.01.2020 के कार्यवृत्त पत्रांक: 2319 / फा०सं०-36 (षष्ठम) / कार्य परिषद / 2019-20 दिनांक: 22 जनवरी, 2020 के बिन्दु संख्या 24 / 28 में मा० कार्य परिषद द्वारा डॉ० पांचाली सिंह के प्रबन्धशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि (15.10.2012 से 05.09.2014 तक कुल 01 वर्ष 10 माह 22 दिन एवं दिनांक 06.09.2018 से 17.01.2020 तक कुल लगभग 01 वर्ष 04 माह 10 दिन) 03 वर्ष से अधिक होने के दृष्टिगत प्रो० नागेन्द्र यादव, आचार्य, प्रबन्धशास्त्र विभाग (पूर्व में दिनांक 06.09.2014 से 22.11.2016 तक विभागाध्यक्ष, प्रबन्धशास्त्र के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं) को परिनियमावली, 2009 में कार्यकाल के सम्बन्ध में 03 वर्ष की दी गई व्यवस्थानुसार प्रबन्धशास्त्र का विभागाध्यक्ष इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से शेष अवधि अर्थात् दिनांक 19 नवम्बर, 2020 तक के लिए नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय
3. अधिष्ठाता, वाणिज्य विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय
6. डॉ० नागेन्द्र यादव, प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र विभाग।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव